

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना

दिनांक- 30/03/2021

संख्या - 16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-II) का- 2020 / झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के अधीन 02 सेवाओं के सम्बन्ध में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकार, द्वितीय अपील प्राधिकार तथा नियत समय-सीमाओं को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :-

क्र०	प्रशासी विभाग का नाम	प्रदायी सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियत समय-सीमा
1	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)	CBSE/CISCE से सम्बद्धता हेतु निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत करने के सम्बन्ध में।	विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष (संयुक्त सचिव से अन्यून)	45 कार्य दिवस	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	30 कार्य दिवस	सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	30 कार्य दिवस
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	Registration of School under Right to Education	जिला शिक्षा अधीक्षक	135 कार्य दिवस	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक	30 कार्य दिवस	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची	30 कार्य दिवस

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्र भूषण प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-II) का0- 2020 / राँची, दिनांक- 30/03/2021

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-II) का0- 2020 / राँची, दिनांक- 30/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कार्यालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव